भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/23/2016/एफ0सी0/232

दिनाँक : 9-8-16

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/14525/2015

विषयः बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर संपर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद मेरठ व बागपत की 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः गुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक– 94/बागपत/14525/यू0पी0–128/2015, दिनांक– 19.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के [illegible] 07.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी [illegible] के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल GIS DSS Analysis के अनुसार वृक्षारोपण [illegible] के लिए उपयुक्त नहीं है।

अतः प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में परिवर्तन करते हुए परिवर्तित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल [illegible] मानचित्र kml file (polygon format में सी0डी0 में) के साथ उपलब्ध कराया जाय [illegible] वृक्षारोपण स्थल का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत, उ0प्र0।
2. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
3. आदेश पत्रावली।

9/8/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

संख्या–3515/14/14–2–2016
दिनांक : 24 अगस्त, 2016

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार रिजनल आफिस, लखनऊ को अपेक्षित सूचनाएं/अभिलेख अविलम्ब उपलबध कराने का कष्ट करें।

24/8/16

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।